प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.09.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलेरेन्स नीति एवं फीडबैक सेल पर प्राप्त प्रतिक्रिया के दृष्टिगत 01 पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति को साकार करने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिसके दृष्टिगत कमिश्नरेट में फीडबैक सेल एवं कमाण्ड कण्ट्रोल रूम की स्थापना की गई। जिसके अन्तर्गत नागरिकों से पुलिस सेवाओं एवं पुलिसकर्मियों के व्यवहार के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। फीडबैक सेल पर प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं को गम्भीरता से लिया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 21.09.2025 को फीडबैक सेल पर प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रिया के दृष्टिगत उ0नि0 महेश कुमार थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद के विरुद्ध नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिसका संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात द्वारा उक्त पुलिसकर्मी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई है।

पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में स्थापित फीडबैक सेल पुलिस के कार्यों का मूल्यांकन करने में कारगर साबित हो रही है। यह सेल पुलिस एवं नागरिकों के बीच सेतू का कार्य कर रही है ,जिसमें नागरिक बिना किसी भय व औपचारिकता के अपने सुझाव साझा कर रहे हैं।

गाजियाबाद पुलिस नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने हेतु प्रतिबद्ध है। किसी भी भ्रष्ट गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति निरन्तर जारी है। पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जवाबदेह पुलिसिंग ही हमारा लक्ष्य है।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही से घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 20.09.2025 को वादी श्री मोनू पुत्र बालकिशन निवासी कृष्णापुरी थाना मोदीनगर गाजियबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के भाई प्रेम को जान से नीयत से चाकू से हमला कर घायल कर देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 352/109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मोहित पुत्र मुकेश निवासी कृष्णापुरी गली नं0 -06 मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को बस अड्डा मोदीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान घटना कारित करने का इकबाल करते हुये बताया की उसने व उसके साथीयों ने आवेश में आकर कहासुनी के दौरान वादी के भाई पर चाकू से हमला कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मोहित पुत्र मुकेश निवासी कृष्णापुरी गली नं0 -06 मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने ववाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

महिला सुरक्षा एवं ई-रिक्शा संचालन सुव्यवस्थित करने हेतु यूनिक QR कोड व कलर स्टिकर प्रणाली लागू

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद में ई-रिक्शा एवं ऑटो की अप्रत्याशित वृद्धि और इनके मनमाने संचरण से उत्पन्न अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित कर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उल्लेखनीय है, कि गाजियाबाद में लगभग 26,570 ई -रिक्शा पंजीकृत हैं, ई-रिक्शा का कोई भी परमिट न होने के कारण रूट निर्धारण संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, परन्तु पुलिस एक्ट की धारा 31 में सड़क की व्यवस्था बनाये रखने व मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 में मोटर वाहनों के संचालन को नियंत्रित किये जाने के अधिकार पुलिस को होने के क्रम में गाजियाबाद में ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित किये जाने हेतु पुलिस उपायुक्त-ग्रामीण/यातायात के आदेशानुसार निम्न 05 भागों में विभक्त किया गया है:-

- नगर जोन लाल रंग का स्टीकर/ QR (थाना विजयनगर/कोतवाली/सिहानी गेट/कविनगर/नंदग्राम/मधुबन बापूधाम/क्रॉसिंग रिपब्लिक/वेव सिटी/मसूरी में पंजीकृत ई -रिक्शा)
- ट्रांस हिंडन जोन हरे रंग का स्टीकर/ QR (थाना इंदिरापुरम/खोड़ा/कौशाम्बी/लिंक रोड में पंजीकृत ई -रिक्शा)
- साहिबाबाद जोन नीले रंग का स्टीकर/ QR (थाना साहिबाबाद/शालीमार गार्डन/टीला मोड़ में पंजीकृत ई -रिक्शा)
- लोनी जोन पीले रंग का स्टीकर/ QR (थाना लोनी/लोनी बॉर्डर/अंकुर विहार/ट्रोनिका सिटी में पंजीकृत ई -रिक्शा)
- मोदीनगर जोन नारंगी रंग का स्टीकर/ QR (थाना मोदीनगर/मुरादनगर/भोजपुर/निवाड़ी में पंजीकृत ई -रिक्शा)

प्रथम चरण में आज महिला सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इस प्रणाली का शुभारम्भ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात महोदय द्वारा नगर जोन में संचालित ई-रिक्शा को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में कुल 200 ई-रिक्शाओं को सॉफ्टवेयर जनित कलर स्टीकर/ QR/यूनिक नंबर प्रदान करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त अवसर पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण/यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात एवं सभी यातायात निरीक्षक गण आदि उपस्थित रहे। यह कार्यवाही निरंतर रूप से जारी रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाकर नगर जोन एवं अन्य शेष सभी जोन के ई-रिक्शाओं पर कलर स्टीकर/QR लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

कलर स्टीकर/QR लगाए जाने के लाभ

- QR कोड स्कैन कर यात्री एवं आमजन प्राप्त कर सकेंगे वाहन स्वामी व चालक की सम्पूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता एवं मोबाइल नंबर
- यात्रियों के फीडबैक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेटिंग
- यूनिक कोडिंग सिस्टम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बंधित ई-रिक्शा अपने जोन में ही संचालित हो
- ऑटो/ई-रिक्शा से होने वाले महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी सहायक होगा
- ऑटो/ई-रिक्शा की यूनिक नंबर की शिकायत होने पर यातायात पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही
- आपराधिक घटनाओं में शामिल वाहनों की शीघ्र पहचान कर अपराध नियंत्रण में भी सहायक

महिला सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित किये जाने हेतु ई-रिक्शा के साथ साथ शीघ्र ही गाजियाबाद में संचालित ऑटो को भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत यूनिक QR कोड/कलर स्टीकर प्रदान किये जायेंगे।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर, हाल पता सोनिया विहार दिल्ली 2. ललित पुत्र मानिक चन्द निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर, हाल पता सोनिया विहार दिल्ली को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 120 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाते हैं और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर हाल पता सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

2.ललित पुत्र मानिक चन्द निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर हाल पता सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

120 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25.190 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

दिनांक 22.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध स्मैक के साथ 01 अभियुक्त अरमान पुत्र साजिद निवासी आनन्द विहार, थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार

किया गया जिसके कब्जे से 25.190 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा- 8/21 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मुझे यह स्मैक की पुडिया टीटू नामक व्यक्ति लाकर देता है और मैं यह स्मैक की पुडिया रेलवे स्टेशन के आस पास आने जाने वाले लोगो को बेच देता हूँ जिससे में अपनी जेब खर्च चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अरमान पुत्र साजिद निवासी आनन्द विहार, थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 18 करीब वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

टीटू नाम पता अज्ञात

बरामदगी का विवरण –

25.190 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर एनडीपीएस अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 21.09.25 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी की अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुंसगत धारा 303(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.09.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. शौकीन पुत्र फैयाज अली निवासी वार्ड नंबर-03 मुर्गी फार्म वाली गली डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. सैफ उर्फ फुरकान उर्फ पाली पुत्र लियाकत निवासी वार्ड नंबर-03 मुर्गी फार्म वाली गली डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त

बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि यह मोटरसाइकिल हमने मयूर विहार से चोरी की थी । हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. शौकीन पुत्र फैयाज अली निवासी वार्ड नंबर-03 मुर्गी फार्म वाली गली डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

2. सैफ उर्फ फुरकान उर्फ पाली पुत्र लियाकत निवासी वार्ड नंबर-03 मुर्गी फार्म वाली गली डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त सैफ उर्फ फुरकान उर्फ पाली पर थाना मसूरी पर चोरी के 05 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है । **(कुल अभियोग-06)** ।

अभियुक्त शौकीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी व उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना मसूरी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध पिस्टल व कारतूसों को खरीद फरोख्त करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद ।

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा तिबडा बम्बा मानकी पुलिया थाना क्षेत्र मोदीनगर के पास अवैध पिस्टल व कारतूसों की आपस में खरीद फरोख्त कर रहे 02 अभियुक्तों 1. चिराग पुत्र विपिन सांगवान निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2. आदित्य उर्फ जोशी पुत्र सुशील निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 30 अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर धारा 3/5/9/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के साथी 1.समर्थ सांगवान पुत्र राजेन्द्र निवासी तिबडा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद (मौके से फरार) व 2. सन्नी सांगवान पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद वांछित है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर पकडे गए चिराग उपरोक्त ने बताया कि उसने व उसके साथी समर्थ सांगवान पुत्र राजेन्द्र निवासी तिबडा रोड तथा सन्नी सांगवान पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम खंजरपुर द्वारा मिलकर अवैध रुप से पिस्टल व कारतूस बेचने का काम किया जा रहा है। हम तीनों ने आदित्य के साथ 90000/- रुपये में कारतूस व पिस्टल बेचने की 4 - 5 दिन पहले डील की थी। मेरे साथी सन्नी ने मुझे ये 30 कारतूस (जो आदित्य व मेरे से

बरामद हुये है) और समर्थ सांगवान को एक पिस्टल .32 बोर देकर आज हमे आदित्य को देने के लिए भेजा था, उक्त कारतूस मै आदित्य को देने वाला था इससे पहले आपने हमको पकड लिया व मौके से फरार अभियुक्त समर्थ सांगवान के पास ही वह पिस्टल है। पकडे गए आदित्य उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो आदित्य ने बताया कि आज चिराग व समर्थ से 30 कारतूस व एक 0.32 बोर पिस्टल खरीदने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. चिराग पुत्र विपिन सांगवान निवासी खंजरपुर थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
2. आदित्य उर्फ जोशी पुत्र सुशील निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1.समर्थ सांगवान पुत्र राजेन्द्र निवासी तिबडा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद (मौके से फरार)

2. सन्नी सांगवान पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम खंजरपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

अवैध 30 कारतूस .32 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनायें कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान व अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 22.04.2025 को थाना निवाडी पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर ग्राम सारा से जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे तहरीर प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल मु0अ0सं0 0069/2025 धारा 305 BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 06.06.2025 को वादी श्री दर्शन प्रधानाध्यापक कम्पोजित विद्यालय ग्राम सारा निवाडी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा कम्पोजिट विद्यालय ग्राम सारा से L.E.D व अन्य सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल मु0अ0सं0 106/25 धारा 305/331(4) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 07.08.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0069/2025 में अभियुक्त बन्टी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना निवाडी गाजियाबाद को चोरी के सामान व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त बरामदगी व विवेचना के आधार पर अभियोग 0069/2025 में धारा 317(5)/332(c)/3(5) BNS व 4/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी ।

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटनाये कारित करने वाला अभियुक्त असलम पुत्र मेहरबान निवासी मोहल्ला समर गॉर्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मु0अ0सं0 69/2025 से संबंधित चोरी की 01 जोडी पायल सफेद धातु, 01 कमर पेटी सफेद धातु, 01 गले की चेन मय लॉकेट पीली धातु, 01 मंगलसूत्र काले मोती जडे पीली धातु, 500 रूपये नगद व 01 अवैध चाकू तथा मु0अ0सं0 106/2025 से संबंधित 01 L.E.D. T.V. 32 इंच कम्पनी सैमसंग व छैनी, हथौडी बरामद हुए । उक्त बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 0106/2025 में धारा-317(2)/317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त असलम पुत्र महेरबान उपरोक्त ने पूछताछ पर जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि अब से करीब 04 माह पूर्व मैंने अपने साथी बंन्टी पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम कुम्हैडा थाना निवाडी गाजियाबाद के साथ मिलकर सारा गांव के एक घर से जेवरात व नगदी चोरी की थी जिसका हम दोनो ने बंटवारा कर लिया था तथा अपनी जरूरत अनुसार राह चलते रागगीरों को सामान बेच दिया था तथा पैसों को खर्च कर दिया था। उसके एक माह पश्चात मैंने सारा गांव के सरकारी स्कूल से 01 LED TV व कुछ अन्य सामान चोरी किया था जिसमें से कुछ माल मैंने राह चलते कबाडी को बेच दिया था जिसके बारे मे मुझे कोई जानकारी नही है तथा कुछ जेवरात मेरे पास रखे थे जिनको मैं पैसो की जरूरत पडने पर बेचने के उददेश्य से निकला था कि पुलिस ने पकड लिया तथा सारा गांव के सरकारी स्कूल से चोरी की LED TV, छैनी व हथौडा को कट्टे में रखकर मैने सारा निवाडी रोड पर स्थित एक पुराने बंद पडे टयूबवैल की जर्जर कोठरी में छिपा दिया था जो मैंने आपको बरामद करा दिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

असलम पुत्र मेहरबान निवासी मोहल्ला समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

जिसके कब्जे से मु0अ0सं0 69/2025 से संबंधित चोरी की 01 जोडी पायल सफेद धातु, 01 कमर पेटी सफेद धातु, 01 गले की चेन मय लॉकेट पीली धातु, 01 मंगलसूत्र काले मोती जडे पीली धातु, 500 रूपये नगद व 01 अवैध चाकू तथा मु0अ0सं0 106/2025 से संबंधित 01 L.E.D. T.V. 32 इंच कम्पनी सैमसंग व छैनी, हथौडी बरामद।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ के थाना परतापुर में चोरी के 02 अभियोग , जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नईमण्डी में चोरी व हत्या के प्रयास के कुल 03 अभियोग व कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना मोदीनगर में चोरी का 01 अभियोग व थाना निवाडी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं । **(कुल अभियोग-08)** । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 09 शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 09 शातिर लूट,गैगस्टर, धोखाधड़ी व चोरी/नकबजनी आदि से सम्बन्धित अभ्यस्त अपराधी जिनके विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 42 से अधिक अभियोग पंजीकृत है, उनकी सतत निगरानी हेतु उनकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अपराधी का नाम व पता	थाना	पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1.	सलमान पुत्र शौकत अली निवासी म0नं0 525/67 सी न्याय खण्ड 2/3 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।	इन्दिरापुरम	05
2.	सिंकू पुत्र स्वर्गीय जुगल मण्डल निवासी ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद स्थायी निवासी गांव तिलकपुर थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार उम्र करीब 22 वर्ष।	इन्दिरापुरम	05
3.	सुभाष धोबी पुत्र पप्पू धोबी हाल निवासी झुग्गी नं0 2 टंकी के पास सेक्टर 17 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मुल पता गंजभरावन थाना अतरौली जिला हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष।	इन्दिरापुरम	05
4.	हिमांशू शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी म0नं0 379 गली नं0 3 मेन श्याम पार्क थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।	साहिबाबाद	05
5.	जुनैद उर्फ बुन्नु निवासी म0नं0 एफ 355 चिकम्बरपुर शहीद नगर थाना साहिबाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।	साहिबाबाद	04
6.	सुमित शर्मा पुत्र रामबीर शर्मा निवासी डी 36 गली नं0 1 शिव मंदिर के पास ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड़ उम्र करीब 32 वर्ष।	लिंकरोड़	04
7.	नदीम पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला लुकमान पुरा थाना कीरतपुर जिला बिजनौर हाल निवासी भूसा की टाल राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 32 वर्ष।	शालीमार गार्डन	04

8.	शद्दाम पुत्र इस्तकार निवासी मौहल्ला लुकमान पुरा थाना कीरतपुर जिला बिजनौर हाल निवासी भूसा की टाल राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 29 वर्ष।	शालीमार गार्डन	04
9.	समीर उर्फ फैजान उर्फ बर्गर पुत्र सलीम उर्फ बिट्टू निवासी लियाकत चौधरी का मकान गली नं0 1 राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 25 वर्ष।	शालीमार गार्डन	06

साइबर सैल थाना मसूरी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी 73,510/- की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 22.09.2025 को साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक मुकेश कुमार पुत्र स्व जगदीश पाल सिंह निवासी- इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 73,510/- रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से मुकेश कुमार पुत्र स्व जगदीश पाल सिंह निवासी- इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ 73,510/-रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदकों के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 22.09.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशी को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी साइबर सैल टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 21.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त सलीम उर्फ सोनू पुत्र निजामुद्दीन हाल पता-किराये का मकान बलराम नगर लोनी गाजियाबाद मूल पता औलाद अली की बैठक के पास अपरकोट लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सलीम उर्फ सोनू द्वारा पूछताछ में बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल गोकुलपुर दिल्ली से चोरी की थी जिसे आज में छिपते छिपाते बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलीम उर्फ सोनू पुत्र निजामुद्दीन हाल पता-किराये का मकान बलराम नगर लोनी गाजियाबाद मूल पता औलाद अली की बैठक के पास अपरकोट लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 पव्वे अवैध शराब बरामद ।

आज दिनांक 22.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर, हाल पता सोनिया विहार दिल्ली 2. ललित पुत्र मानिक चन्द निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर, हाल पता सोनिया विहार दिल्ली को थाना

क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 120 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाते हैं और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.अमित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर हाल पता सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

2.ललित पुत्र मानिक चन्द निवासी गंगागढ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर हाल पता सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

120 पव्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।